नकल आदेश दिनांक 11/2/19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-86/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2019412480286
एम एस आर स्कीवयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत एम0एस0आर0 स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड/आफिस ग्राम सराही पोस्ट मंझेला परगना दरियाबाद द्वारा प्रबन्धक दयाशंकर सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी ग्राम सराही परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2019 पर तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 07.02.2019 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 42/0.159हे0 व 52/1.163हे0 कुल 2 किता रकबा 1.322हे0 स्थित ग्राम बनगावा परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज सरकारी कागजात है। आवेदक द्वारा गाटा संख्या 42/0.159हे0 व 52/1.163हे0 कुल 2 किता रकबा 1.322हे0 पर वाणिज्यिक गतिविधियां विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं रहा। जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 07.02.2019 में उल्लेख किया गया है कि एम0एस0आर0 स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड/आफिस ग्राम सराही पोस्ट मंझेला परगना दरियाबाद द्वारा दयाशंकर सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी ग्राम सराही परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट बाराबंकी के नाम अंकित गाटा संख्या 42/0.159हे0 व 52/1.163हे0 कुल 2 किता रकबा 1.322हे0 को धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जा सकता है। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार की आख्या निम्न प्रकार है:–

1–धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत है:–(प्रारूप पत्रावली संलग्न है)

राजस्व ग्राम का नाम–बनगावा परगना–दरियाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-86/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2019412480286
एम एस आर स्कीवयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्र0	मा0 मु0	गाटा संख्या	क्षेत्र0	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बनगावा	एम0एस0आर0 स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड/आफिस ग्राम सराही पोस्ट मंझेला परगना दरियाबाद द्वारा प्रबन्धक दयाशंकर सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी ग्राम सराही	101	1.322	32 69	42 52	0.159 1.163	रकबा 1.322 पर विद्यालय भवन एंव खेल मैदान	बा0स0

2–आवेदक द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3–आवेदक के उक्त गाटा के सम्पूर्ण भाग पर विद्यालय भवन निर्माणाधीन है जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नहीं है।

4–आवेदक द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने वाली भूमि से सम्बन्धित नजरी नक्शा संलग्न किया गया है जिसका सम्बन्ध कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन से नहीं है।

5–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2006 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क मूल्य रू0 33447–00 चालान संख्या 5402/01/B804775 व न्याय शुल्क 33447.00 रुपये चालान संख्या 5402/01/B804791 दिनांक 08.02.2019 को लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :रामसनेही घाट
वाद संख्या :-86/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201941248O286
एम एस आर स्कीवायर प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

6—चूंकि आवेदक द्वारा जोत के भाग का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है इसलिए राजस्व नियमावली—2006 के नियम—88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता—2006 के धारा—22(2) के अनुसार सीमांकन का खर्च एक गाटा हेतु कुल रूपया 1000—00 चालान संख्या 5402/01/B804654 दिनांक 08.02.2019 को लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

7—सहखातेदारी न होने के कारण अनापत्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतएव तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्यानुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 42/0.159हे0 व 52/1.163हे0 कुल 2 किता रकबा 1.322हे0 विद्यालय भवन एवं खेल मैदान होने के कारण अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है तथा इस कारण धारा—80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 1.322हे0 को अकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत उद्घोषणा शुल्क के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार रू0 33447—00 रूपया व न्याय शुल्क 33447—00 रूपया एवं सीमांकन का खर्चा मु0 1000—00 अधिरोपित कर जमा कोष किया गया। उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम बनगावां परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट की खतौनी वर्ष 1425–1430फ0 की खाता संख्या 101 पर अंकित गाटा संख्या 42/0.159हे0 व 52/1.163हे0 कुल 2 किता रकबा 1.322हे0 सम्पूर्ण भाग को धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्या दिनांक 07.02.2019 एवं नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रति उपनिबन्धक तहसील रामसनेहीघाट को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

क्रम संख्या 76
नकल प्रार्थना पत्र देने की तिथि 11/2/18
... तिथि 11/2/19
... फीस 2 कुल 2/-
... संख्या 662
... A 11-2-19 पृष्ठ संख्या

11-2-19
उपजिलाधिकारी
रामसनेहीघाट—बाराबंकी।

सत्य प्रतिलिपि
A 11-2-19

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामसनेहीघाट, बाराबंकी।

संख्या/(50)/ आ0लि0 /2019 | दिनाँक: 20 फरवरी, 2019

प्रमाण पत्र

नायब तहसीलदार रामसनेघाट की आख्या के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बनगांवा, परगना दरियाबाद, तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी गाटा संख्या 42/0.159 हे0 व गाटा संख्या 52/1.163हे0 कुल 02किता क्षेत्रफल 1.3220हे0 राजस्व अभिलेखों में एम0 एस0 आर0 स्कायर प्राइवेट लिमटेड/आफिस ग्राम सराही पो0 मंझेला जनपद बाराबंकी द्वारा प्रबंधक दयाशंकर सिंह पुत्र शंभू सिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूखण्ड पर ब्राईट फेदर्स डिग्री कॉलेज का भवन निर्मित है। उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है एवं सभी गाटे परस्पर सटे हुए है तथा उनके मध्य नाली, चकरोड, रास्ता, कब्रिस्तान/श्मशान तथा जनमप्र क्षेत्र नहीं है।

उप जिलाधिकारी,
रामसनेहीघाट, बाराबंकी।